पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल–मनेर के सोन नदी पर पटना सोन बालू कलस्टर–1A (घाट संख्या–1, 2, 3 एवं 4) से बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

दिनांक 24.09.2020 को आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला–पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा श्री वीजेन्द्र कुमार सिंह, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय एवं श्री वीजेन्द्र कुमार को निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या–SIA/1(a)/1005/2020, 1008/2020, 1025/2020 दिनांक 22.07.2020 एवं पत्र संख्या–SIA/1(a)/ 1006/2020, दिनांक 21.07.2020 के आलोक में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा0), पटना (जिलाधिकारी पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक–सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक: 22.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेंजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टपॉन्सिबिलिटी (सी. ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बतया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढ़क कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् परियोजना

लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यो में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :–

1. श्री बीजेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा बालू उत्खन्न एवं परिवहन से सड़कों के किनारे धूलकणों की समस्या के निराकरण करने का सुझाव दिया गया।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, आनंदपुर द्वारा सड़को के किनारे एवं सार्वजनिक स्थल पर फलदार वृक्ष के लगाने एवं कामगारों के लिए शौचालय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।
3. श्री गुड्डु कुमार, आनंदपुर द्वारा सी.ई.आर. के तहत् सूर्यमठ में समुदायिक सुविधा की व्यवस्था करने एवं परिसर में फलदार वृक्ष लगाने का सुझाव दिया गया।
4. श्री राम कुन्दन कुमार, आनंदपुर ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
5. श्री राकेश कुमार, सुअरमरवा द्वारा सड़कों के गढ़ढ़ो की मरम्मति करने का सुझाव दिया जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

लोक–सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत् बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड–19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सद्उपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह)	(एस.पी.राय)	(विनायक मिश्र)
सहा0 वैज्ञानिक पदा0	पर्यावरण अभियंता	अपर जिला दण्डाधिकारी,
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्	बि0रा0प्र0नि0पर्षद्	पटना

उपस्थिति सूची

श्री वीजेन्द्र कुमार, श्री भीम प्रसाद, श्री रंजीत कुमार राय द्वारा पटना जिला, अंचल- मनेर के सोन नदी पर (पटना सोन कलस्टर-1A) सोन घाट- 1, सोन घाट- 2, सोन घाट- 3, एवं सोन घाट- 4 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 24.09.2020 (गुरूवार) को 10:30 बजे पूर्वाह्न में आनंदपुर प्राथमिक विद्यालय, आनंदपुर, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दण्डाधिकारी	[signature] 24/09/2020
2.	एस.जी. राय	पर्यावरण अभियंता बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	[signature] 24-9-2020
3.	मनोज कुमार [illegible]	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	[signature] 24.9.20
4.	मुन्ना कु० शर्मा		[signature]
5.	मो० शाहिद आफताब		[signature]
6.	रणधीर कुमार	आनन्दपुर	रणधीर
7.	विकाश कुमार		विकाश कुमार
8.	Amit Kumar	Anandpur	[signature]
9.	उपेन्द्र कुमार	आनन्दपुर	उपेन्द्र कुमार
10.	अजीत कुमार	आनन्दपुर	Ajit Kumar
11.	मुकेश	आनन्दपुर आनन्दपुर	Mukesh
12.	कामेश्वर राय		कामेश्वर राय
13.	सकलदीप	आनन्द पुर	सकलदीप राय
14.	अमित कुमार	आनन्दपुर	अमित कुमार
15.	अजीत कुमार	आनन्द पुर	अजीत कुमार
16.	विरोध राय	आनन्दपुर	विरोध राय
17.	गुड्डू राय	आनन्दपुर	गुड्डू राय
18.	Rakesh Kumar	Anandpur	Rakesh Kumar